(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposals were received from Government of Meghalaya in 1992-93 and Government of Bihar in 1993-94.

(c) The proposals were not cleared as expenditure on operation & maintenance in excess of the prescribed limit of 10% of annual allocation under Accelerated Rural Water Supply Programme is to be met out of State Sector Minimum Needs Programme funds and non-plan provision made by the State Government.

Poverty Alleviation Programmes

6523. DR. B.B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 778 and 2815 given in the Rajya Sabha on the 16th March, 1995 and 30th March, 1995 respectively and state:

(a) what are the basic objectives of major poverty alleviation programmes under implementation in the country; and

(b) the funds allotted and physical targets set and achieved in the country with special reference to Madhya Pradesh and Bihar[9]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The two major poverty alleviation programmes are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) & (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY). IRDP is a major self-employment programme in which the beneficiary families are provided subsidy and term credit to take up economic activities. Similarly, Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is a major wage employment programme, the primary objective of which is to provide wage employment to the rural poor. The secondary objective of JRY is creation of durable assets in the rural sector. From 1993-94, two more important wage employment programmes, namely Intensified JRY in 120 backward districts in the country and Employment Assurance Scheme (EAS) in 2448 backward and tribal blocks in the country are under implementation. Under the scheme, assured employment of 100 days of unskilled manual work is provided to the rural poor who are in need of employment and seeking for it.

(b) The funds allotted and physical targets set and achieved under JRY and IRDP during 1994-95 at all India level and for the State of Madhya Pradesh and Bihar is given in the Annexure. *[See* Appendix 173, Annexure No. 136]

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ प्राप्तकर्ता

6524. **श्री रामजी लाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंचायती चुनाव कराए जाने के बाद जवाहर रोजगार योजना इंदिरा आवास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार, आवास, प्रशिक्षण तथा पेयजल उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या सरकार इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक खंड में एक निगरानी दल का गठन करेगी;

(ग) क्या सरकार लोगों के लाभ के लिए एक नया विभाग बनाकर इस कार्य हेतु धनराशि प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) उन व्यक्तियों, जिनको जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से देश

में पैंचायत चुनावों के आयोजित होने के बाद की अवधि में रोजगार, आवास, प्रशिक्षण और स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, की संख्या के बारे में जानकारी मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि, 1993-94 और 1994-95 की अवधि के लिए जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध कराए गए रोजगार, आवास, प्रशिक्षण और स्वच्छ पेयजल सुविधा के बारे में राज्यवार जानकारी अनुबंध-I से v में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 137]

(ख) से (घ) विभिन्न ग्रमीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इनकी निगरानी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत् रूप से की जाती है। योजनाओं के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी केन्द्र द्वारा राज्यों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है।

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादन की समीक्षा भी केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर की जाती है। केन्द्र स्तर पर सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रमों की ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला एवं खंड स्तरों पर भी समन्वय समितियां बनायी गयी हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन का गुणात्मक निष्पादन केन्द्र के अधिकारियों तथा जिले स्तर तक राज्य सरकार के पर्यवेक्षण स्तर कार्यकर्त्ताओं द्वारा निरीक्षणों की मार्फत किया जाता है। इसके अलावा, इन योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृतात्मक एवं कड़ी निगरानी हेतु एक क्षेत्र अधिकारी योजना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरंभ की है। मंत्रालय एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र निरीक्षणों के लिए विशिष्ट जिले/राज्य/संघ शासित क्षेत्र आवंटित किये गये हैं। क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय किये जाते हैं। निगरानी की ये गतिविधियां गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अभिन्न अंग है।

केन्द्रीय स्तर पर प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सचिव (एस०एस०आई० व ए०आर०आई०) की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री की योजगार योजना जिला समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना राज्य स्तर समिति का गठन किया गया है।

Schemes for the development of wasteland in Gujarat

6525. . SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1642 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1995 and state:

(a) whether Government have prepared any scheme for the development of wasteland in Gujarat; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) and (b) Afforestation/tree planting is carried out on various categories of land including wasteland under Point No. 16 of 20 Point Programme in the State of Gujarat which includes Central and State Schemes. This also includes activities taken up for development of non-forest wasteland under the schemes of National Wastelands Development Board which are listed below:

(i) Integrated Wasteland Development Project.

(ii) Grant-in-Aid Scheme.

(iii) Technology Development, Extension and Training Scheme.

However, in Gujarat, since the creation of Department of Wastelands Development in July, 1992 upto 31st March, 1995, 13 projects under Integrated Wastelands Development Projects Scheme have been sanctioned with an outlay of Rs. 3993.68 lakhs. 5 Projects with an outlay of Rs. 26.69 lakhs